



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट— <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. — 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. — 0755-2462136

No: 2184

SEIAA/2022

Date: 30/11/22

प्रति,

श्री अमन सिंह आत्मज श्री शिव सिंह,
निवासी 41 चिकासी हमीरपुर, जिला हमीरपुर (उ.प्र.)

विषय:—प्रकरण क्र. 8565/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री अमन सिंह आत्मज श्री शिव सिंह, निवासी 41 चिकासी हमीरपुर, जिला हमीरपुर (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.781 हेक्टेयर, खसरा 491 ग्राम लौसी, तहसील गारिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण 757वीं बैठक दिनांक 18.11.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 741वीं बैठक दिनांक 17.08.2022 में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 594 वीं बैठक दिनांक 21.09.2022 एवं उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

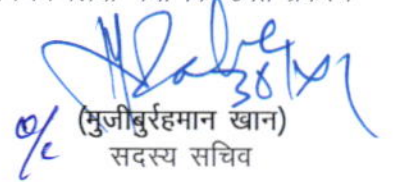
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 750वीं बैठक दिनांक 13.10.2022 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

"..... उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 15 पेड़ लगे हैं जिसमें 07 पेड़ काटे जावेगे एवं उसके एवज 70 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जायें। परियोजना प्रस्तावक से चाही गई उपरोक्त जानकारी आज दिनांक तक आपेक्षित है।

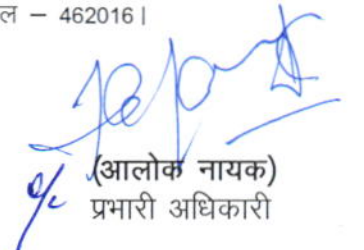
राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को Delist किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाय।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण Delist किया जाता है।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 2185 /SEIAA/2022 दिनांक - 30/11/22
प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला छतरपुर र (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी